

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS 3.0//22/ 1650

दिनांक 19/6/2025

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषय:- राज्य कार्मिकों के सेवानिवृत्ति पर देय लीव एन्केशमेन्ट (LE) बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर बनाये जाने की सुविधा प्रारम्भ होने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत राज्य कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर देय लीव एन्केशमेन्ट (LE) एवं लीव एन्केशमेन्ट एरियर के भुगतान हेतु बिल बनाये जाने की सुविधा आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर विकसित कर लागू की जा रही है, जिसके कारण दिनांक 20.06.2025 के बाद LE एवं LE एरियर के समस्त बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ही बनाये जाने अपेक्षित है। पे-मैनेजर पर दिनांक 20.06.2025 के बाद LE बिल बनाये जाने की सुविधा बन्द की जा रही है। वर्तमान में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर कार्मिकों के वेतन बिलों के अलावा निम्नलिखित बिल भी बनाये जाने की सुविधा उपलब्ध है :-

1. Salary Arrear bill
2. DA Arrear bill
3. Half Pay leave/Partial Pay bill
4. Salary with child care leave
5. Surrender/Surrender arrear bill
6. SIPF related claim bills
7. Subsistence allowance bill
8. SNA-SPARSH - Salary bill
9. Re-appointment (Pay-Pension) bills
10. Bonus and Pending old Bonus bill
11. ME bill related to Employees
12. Correction advice bill for e-Kubar rejected transaction
13. Subvention bill

उपरोक्त प्रक्रियाओं से संबंधित यूजर मैनुअल भी आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध है तथा किसी भी तकनीकी सहायता के लिए हैल्प डेस्क नम्बर 0141-2924794 / 2924795 तथा ई-मेल employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। अतः तदनुसार अधीनस्थ कार्यालयों/आहरण वितरण अधिकारियों को अवगत करवाने का अनुरोध है।

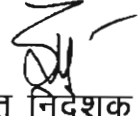
भवदीय

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए / IFMS 3.0//22/ 1651-53 दिनांक 19/6/2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी समस्त।
3. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल), विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)